संख्या-1/2017-सी0ए0-400/दस/2017-मित0-1/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2.- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग लखनऊ:: दिनांक: 24 अक्टूबर 2017

विषय- राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों के उपयोग आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटाने तथा अनुत्पादक व्यय को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 19-03-97 को वाहनों के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी द्वारा, जिसे शासकीय वाहन आवंटित है, 200 कि0मी0 प्रतिमाह तक निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रतिमाह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिये -250/- तथा जीप के लिये रू0-200/- जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-710/दस-सं0वि0मित0-2-97, दिनांक-29 मई 1999 के द्वारा, राजकीय कोष में जमा की जाने वाली प्रति वाहन प्रतिमाह की राशि में वृद्धि करते हुये दिनांक 01-06-1999 से कार के लिये रू0-500/- तथा जीप के लिये रू0-400/- निर्धारित किया गया था।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अर्न्तगत राजकीय कोष में जमा की जाने वाली प्रति वाहन प्रतिमाह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुये, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से कार के लिये रू0-1000/- प्रतिमाह तथा जीप के लिये रू0-800/- प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाये।

2.-कृपया उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2017-सी0ए0-400(1)/दस-2017-मित0-1/2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी।
(2) महालेखाकार-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) समस्त सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानिय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं प्रबंन्ध निदेशक।
(4) समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय।
(5) समस्त कोषाधिकारी/वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश द्विवेदी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।